



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1870]
No. 1870]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2009

का.आ. 2888(अ).—भारतीय समुद्रतटीय क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन पर विनियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 42) की धारा 2 के खंड (एम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 10 मई, 1982 के संख्या का.आ. 314(अ) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 25 नवम्बर, 1993 की सं. का.आ. 893(अ) और दिनांक 13 जनवरी, 1997 की सं. का.आ. 40(अ) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार, ओखा, पोरबंदर, मुम्बई, न्यू मंगलौर, गोवा, कोचीन, तुतिकोरिन, मंडपम, चैन्नई, विशाखापटनम, पारादीप, हल्दिया, पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, पुदुचेरी और काकिनाडा के निर्दिष्ट पत्तनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट पत्तन निर्धारित करती है।

[फा. सं. 29012/19/82-मा. (आईएनडी) खंड-III]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2009

S.O. 2888(E).—In exercise of the powers conferred by clause (m) of section 2 of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by Foreign Vessels) Act, 1981 (42 of 1981) and in supersession of the Notifications of the Government of India in Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 314(E), dated the 10th May, 1982, Ministry of Food Processing Industries vide number S.O. 893(E), dated the 25th November, 1993 and number S.O. 40(E), dated the 13th January, 1997, the Central Government hereby specifies the ports of Okha, Porbander, Mumbai, New Mangalore, Goa, Cochin, Tuticorin, Mandapam, Chennai, Visakhapatnam, Paradeep, Haldia, Port Blair, Kolkata, Puducherry and Kakinada as specified ports for the purposes of the said Act.

[F. No. 29012/19/82-Fy(Ind) Vol. III]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secy.